निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक–III

# कारोबार दायित्व रिपोर्ट

## खंड कः कंपनी से संबंधित सामान्य सूचना

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कंपनी का कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) | L40101DL1969GOI005095 |
| 2. | कंपनी का नाम | आरईसी लिमिटेड<br>*(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)* |
| 3. | पंजीकृत पता | कोर–4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, भारत |
| 4. | वेबसाइट | www.recindia.nic.in |
| 5. | ईमेल आईडी | complianceofficer@recl.in |
| 6. | रिपोर्टिंग का वित्तीय वर्ष | वित्तीय वर्ष 2019–20 |
| 7. | कंपनी के कार्य क्षेत्र (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड–वार) | आरईसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी है। कंपनी के कारोबार क्रियाकलाप समूह 649; श्रेणीः 6492; उप श्रेणीः 64920 के अंतर्गत आते हैं। *(अन्य वित्तीय सेवा क्रियाकलाप–अन्य केडिट ग्रांटिंग)* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) |
| 8. | कंपनी के निर्माण/दी जा रही सेवा के प्रमुख उत्पाद/सेवाओं की सूची (तुलन पत्र के अनुसार) | आरईसी सार्वजनिक और निजी, दोनों, क्षेत्रों में बिजली उत्पति की परियोजनाओं के वित्तपोषण/योजनाओं (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों), पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण और बिजली परियोजनाओं से फारवर्ड/बैकवर्ड लिंकेज के कार्य करती है। इसके प्रमुख उत्पादों में सम्पूर्ण ऊर्जा की सेक्टर वैल्यू चेन के लिए दीर्घावधि ऋण, मध्यावधि ऋण, अल्पावधि ऋण इत्यादि शामिल हैं।<br>इसके अलावा, आरईसी डीडीयूजीजेवाई *(दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)*, सौभाग्य *(प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर बिजली योजना)* एवं एनईएफ *(राष्ट्रीय विद्युत निधि)* तथा अन्य अनेक जैसी भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, की राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी अथवा परियोजना प्रबंधन/कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। |
| 9. | स्थलों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा अपने कारोबार क्रियाकलाप किए जाते हैं:<br>(क) अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की संख्या<br>(क) राष्ट्रीय स्थलों की संख्या | आरईसी का पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा आरईसी के भारत में 23 क्षेत्रीय कार्यालय/राज्य कार्यालय/उप कार्यालय बंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नै, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद {क्षेत्रीय कार्यालय एवं आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) के नाम से प्रशिक्षण संस्थान}, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरूवनंतपुरम, वडोदरा, वाराणसी एवं विजयवाड़ा में हैं। कंपनी का वर्तमान में कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय नहीं है। |
| 10. | कंपनी किस बाजार में कार्य कर ही है–स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय | कंपनी भारतीय बाजारों में अपनी सेवाएं दे रही है तथा इसके कारोबार सम्पूर्ण भारत में विस्तारित हैं। संसाधन एकत्रण के उद्देश्य से कंपनी घरेलू बाजारों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अवसरों की तलाश करती है। |

| 1. | खंड ख : कंपनी का वित्तीय विवरण (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार) | |
|---|---|---|
| 1. | प्रदत्त पूंजी | ₹ 1974.92 करोड़ |
| 2. | कुल टर्नओवर | ₹ 29,854.98 करोड़ |
| 3. | करों के पश्चात कुल लाभ | ₹ 4,886.16 करोड़ |
| 4. | कर पश्चात लाभ का कितना : व्यय कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर किया गयाः | वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए, आरईसी ने ₹ 156.68 करोड़ का (पिछले तीन निकटतम वर्षों के दौरान कंपनी के निवल लाभ पर 2%/से आकलित) कारपोरेट सामाजिक दायित्व बजट आवंटित किया था। वित्तीय वर्ष 2019–20 में खर्च की जाने वाली कुल राशि ₹ 399.85 करोड़ (अर्थात वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 156.68 करोड़ का बजट और ₹ 243.17 करोड़ की राशि पिछले वर्षों से अग्रेणीत) आंकी गई थी। इसी के प्रति, आरईसी ने वित्त वर्ष 2019–20 में विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं (पिछले वर्षों की अग्रेणीत राशि सहित) के लिए ₹ 258.40 करोड़ की राशि का वितरण किया था।<br>संवितरण की राशि पूर्व परिभाषित मानदंडों अथवा स्वीकृति की शर्तों के अनुसार प्रत्येक सीएसआर परियोजना के लिए देय से संबद्ध थी। संवितरण न की गई राशि (राशियों) को बाद के वर्ष (वर्षों) में संबंधित वर्ष के सीएसआर संवितरण के साथ वितरित किया जाएगा । |
| 5. | उन क्रियाकलापों की सूची जिन पर उपर्युक्त में 4 में व्यय किए गए हैं | जिन प्रमुख क्षेत्रों में उपर्युक्त व्यय किए गए हैं उनमें प्रधान मंत्री केयर निधि में अंशदान के अलावा स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता निर्मल पेय जल, शिक्षा, व्यावसायिक कौशल एवं जीविका उत्पति, वृद्धाश्रमों की स्थापना एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपेक्षित अन्य सुविधाएं, पर्यावरण संधारणीयता तथा ग्रामीण विकास परियोजनाएं हैं। |

**खंड ग: अन्य विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं? | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी की निम्नलिखित सहायक कंपनियां हैं:–<br>1. आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसलएल)<br>2. आरईसी पारेषण प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)<br>इसके अलावा, आरईसीटीपीसीएल "बोली प्रक्रिया समन्वयकर्ता" के रूप में ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर प्रदान की जाने वाली स्वतंत्र अंतर्राज्य एवं राज्यांतरिक पारेषण परियोजना की मूल्य आधारित प्रतिस्पधी बोली प्रक्रिया के माध्यम पारेषण सेवा प्रदात्ताओं के चयन की प्रक्रिया कर रही है। ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए आरईसीटीपीसीएल द्वारा परियोजना विशिष्ट विशेष पपर्ज व्हीकल (पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी) स्थापित की जाती है जो बाद में अपनी सभी परिसम्पतियों एवं देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित कर दी जाती है। ऐसी विशेष पपर्ज व्हीकल/पूर्ण स्वामित्व वाली आरईसीटीपीसीएल की निदेशक मंडल की रिपोर्ट में उपलब्ध विस्तृत सूची इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है। |
| 2. | क्या सहायक कंपनीध्कंपनियां मूल कंपनी के कारोबार उत्तरदायित्व (बीआर) प्रयासों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या इंगित करें। | आरईसी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो बिजली क्षेत्र मूल्य श्रृंखला के विभिन्न तत्वों के वित्तपोषण में कार्य कर रही है। यह अपने कारोबार उत्तरदायित्व के साथ करने के प्रति प्रतिबद्ध हैय तथा इसके कारोबारी दायित्वों के प्रयासों का विस्तृत विवरण आगे इस रिपोर्ट में दिया गया है।<br>आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां भी मुख्य रूप से देश में बिजली की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार समय–समय पर कंपनी के कारोबार उत्तरदायित्व प्रयासों में भाग लेती हैं, जैसा कि नीचे संकेत दिया गया है,<br>1. **आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल):**<br>क. **स्मार्ट–मीटरिंग** – आरईसीपीडीसीएल द्वारा 33/11 केवी सब–स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है और प्रधान मंत्री विकास पैकेज के साथ सरकारी कार्यक्रमों के तहत जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ में उन्नत मीटरिंग अवसंरचना इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है।<br>ख. **गृह विद्युतीकरण कार्यों की मॉनीटरिंग** – आरईसीपीडीसीएल द्वारा भारत सरकार की सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100% घरेलू विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युती अभियंताओं की अखिल भारतीय तैनाती के माध्यम से निगरानी की जा रही है।<br>ग. **पूर्वोत्तर में सौर विद्युतीकरण कार्य** – आरईसीपीडीसीएल द्वारा भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत ने अरुणाचल प्रदेश में 536 गांवों के विद्युतीकरण के लिए 300डब्ल्यूपी के 6,674 सोलर होम पावर पैक और 40 डब्ल्यूपी की 955 स्ट्रीट लाइटें स्थापित करने के कार्य किए हैं। आरईसीपीडीसीएल द्वारा सरकार की सौभाग्य योजना के अंतर्गत 300डब्ल्यूपी की क्षमता वाले सोलर होम लाइटिंग स्टैंडअलोन सिस्टम के माध्यम से त्रिपुरा में 3,601 ग्रामीण गृहों का विद्युतीकरण किया है।<br>2. **आरईसी पारेषण प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईटीपीसीएल)**<br>क. बिजली उपभोक्ताओं के लिए उर्जा मित्र ऐप्प – आरईटीपीसीएल द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के दिशानिर्देशन में सम्पूर्ण भारत में एसएमएस/ईमेल/पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को आउटेज सूचना के प्रसार के लिए ऊर्जा मित्र ऐप्प विकसित की गई है। यह अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक पहल है, जिसके तहत ग्रामीण/शहरी/मिश्रित फीडर उपभोक्ताओं के डेटा को जोड़ा गया है। 30 जून 2020 तक यह ऐप्प 20 करोड़ के उपभोक्ता आधार के साथ 52 डिस्कॉम में लाइव थी।<br>ख. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की निगरानी – ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की सटीक स्थिति प्राप्त करना और "24x7 पावर फॉर ऑल" सुनिश्चित करने के लिए आरईटीपीसीएल द्वारा ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के विभिन्न मापदंडों जैसे कि रुकावट, आपूर्ति घंटे आदि की निगरानी के लिए 11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना के कार्यान्वयन नोडल एजेंसी के कार्य किए जा रहे है। |
| 3. | क्या कोई अन्य एंटिटी/संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कि कंपनी के साथ कारोबार करते हैं वे कंपनी की कारोबार उत्तरदायित्व (बीआर) पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां, तो ऐसी एंटिटी/संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें ? | आरईसी के व्यावसायिक सहयोगियों को भी कंपनी की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आरईसी अपने ऋण प्राप्तकर्ताओं को पुराने थर्मल पावर प्लांटों के नवीकरण और आधुनिकीकरण, बिजली संयंत्रों के प्रतिस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के समग्र उद्देश्य और हानिकारक ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन को कम करने के लिए ऋण प्रदान करता है।<br>आरईसी देश में अपने सभी कार्यालयों में 'ई–ऑफिस' का उपयोग करने वाला बिजली क्षेत्र में सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को कागज का कम उपयोग करने और कार्बन पदचिह्न को कम करने में योगदान का अवसर प्राप्त हुआ है। आरईसी के कर्मचारियों ने स्वेच्छा से कोविड–19 के निवारक उपायों में योगदान के रूप में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में एक दिन के वेतन का योगदान दिया है।<br>इसके अलावा, आरईसी की संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में अग्रणी है। ईईसीएल सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं को लागू कर रही है, जैसे उजाला (विश्व का सबसे बड़ा गैर–अनुदान आधारित एलईडी प्रकाश कार्यक्रम), एसएलएनपी (स्मार्ट और ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीट लाइट के साथ मौजूदा स्ट्रीट लाइट को बदलने के लिए विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम), नेशनल ई–मोबिलिटी प्रोग्राम (मौजूदा पेट्रोल और डीजल वाहनों को बदलने के लिए सरकारी संस्थाओं को ई–वाहन प्रदान करना), अटल ज्योति योजना (बिजली की पर्याप्त कवरेज प्राप्त न कर रहे ग्रामीण, अर्ध–शहरी क्षेत्रों में सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना) और सुपर–कुशल एयरकंडीशनिंग कार्यक्रम (वहनीय मूल्य पर ग्राहकों को सुपर–कुशल एसी प्रदान करने के लिए), जिनसे पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुए हैं। |

## खंड घः कारोबार उत्तरदायित्व (बीआर) सूचना

### 1. कारोबार उत्तरदायित्व के उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरणः

| क्र.सं. | ब्यौरा | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | नाम | श्री संजीव कुमार गुप्ता |
| 2. | पदनाम | निदेशक (तकनीकी) तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| 3. | डीआईएन | 03464342 |
| 4. | टेलीफोन नम्बर | +91–11–2436 7479 / +91–11–4309 1522 |
| 5. | ईमेल आईडी | skgupta@recl.in |

### 2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) कारोबार उत्तरदायित्व नीति/नीतियां

सेबी के दिनांक 4 नवम्बर, 2015 के परिपत्र के साथ पठनीय सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित, में 1000 सर्वोच्च सूचीबद्ध कंपनियों से नीचे दिए गए नौ सिद्धांतों के आधार पर, पर्यावरण, सामाजिक एवं गवर्नेंस के परिप्रेक्ष्य में, कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई हैः–

| | |
|---|---|
| सिद्धांत 1 | कारोबार का व्यवहार एवं संचलन नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ स्वयं किया जाना चाहिए।<br>**[नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व]** |
| सिद्धांत 2 | कारोबार के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि करवाई जानी चाहिए जो सुरक्षित हों तथा जिनसे उनके उपयोज्यता क्रम में संधारणीयता को योगदान प्राप्त होता हो।<br>**[उत्पाद के उपयोज्यता क्रम में संधारणीयता]** |
| सिद्धांत 3 | कारोबार में सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।<br>**[कर्मचारी सुख सुविधा]** |
| सिद्धांत 4 | कारोबार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक हितधारक, विशेषतः वे जो सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हैं, के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए।<br>**[हितधारक संबद्धता]** |
| सिद्धांत 5 | कारोबार के अंतर्गत मानवाधिकारों को सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।<br>**[मानवाधिकार प्रोत्साहन]** |
| सिद्धांत 6 | कारोबार के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुनः बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए।<br>**[पर्यावरण संरक्षण]** |
| सिद्धांत 7 | कारोबार के अंतर्गत जन सम्पर्क कार्य एवं विनियामक का निर्वाह उत्तरदायी स्वरूप में किया जाना चाहिए।<br>**[उत्तरदायी लोक नीति का समर्थन]** |
| सिद्धांत 8 | कारोबार के अंतर्गत समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास का समर्थन होना चाहिए।<br>**[समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास]** |
| सिद्धांत 9 | कारोबार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए।<br>**[ग्राहक मूल्य]** |

### 2(क) अनुपालन का विवरण (उत्तर हां/नहीं में दें)

| क्र.सं. | प्रश्न | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | क्या आपके पास ———————— के लिए कोई नीति / नीतियां हैं | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 2. | क्या नीति का निर्माण संबद्ध हितधारकों के परामर्श से किया गया है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 3. | क्या नीति किन्हीं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो ब्यौरा दें? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 4. | क्या नीति निदेशक मंडल से अनुमोदित है? यदि हां तो क्या इस पर प्र.नि./स्वामी/मु.का.अधिकारी/सक्षम निदेशक मंडल के हस्ताक्षर हैं? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 5. | क्या कंपनी में निदेशक मंडल/निदेशक/नीति कार्यान्वयन की देखरेख करने वाले अधिकारी की कोई विशिष्ट समिति है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 6. | कृपया नीति को आनलाइन देखने के लिए लिंक दें ? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 7. | क्या नीति का औपचारिक सम्प्रेषण प्रत्येक संबद्ध आंतरिक एवं बाह्य हितधारक को किया गया है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 8. | क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी में आंतरिक संरचना स्थापित है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |

| क्र.सं. | प्रश्न | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | क्या कंपनी में नीति/नीतियों के संबंधमें हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 10. | क्या कंपनी द्वारा इस नीति की कार्यशैली के स्वतंत्र ऑडिट/मूल्यांकन के कार्य किसी आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी से करवाए गए हैं? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |

*टिप्पणीः संबद्ध स्पष्टीकरण/सूचना/लिंक्स इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में दिए गए हैं।*

| | | |
|---|---|---|
| 2(ख) | यदि किसी सिद्धांत के प्रति क्रम संख्या (क) का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया उसके कारण स्पष्ट करें | लागू नहीं |
| 3. | कारोबार उत्तरदायित्व (बीआर) से संबंधित गवर्नेंस (गवर्नेंस): | |
| | निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति अथवा मु.का.अधि. द्वारा कंपनी के कारोबार उत्तरदायित्व निष्पादन के मूल्यांकन की आवृत्ति क्या है। | तिमाही एवं वार्षिक आधार पर |
| | क्या कंपनी कारोबार उत्तरदायित्व अथवा संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की आवृत्ति क्या है? | जी, हां। आरईसी द्वारा कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट का प्रकाशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 की रिपोर्ट देखने के लिए हाइपर लिंग https://www.recindia.nic.in/annual-report-2019-20 है। |

## खंड ङ : सिद्धांत–वार कार्य निष्पादन

### सिद्धांत1 – नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व

| | | |
|---|---|---|
| 1. | क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार को कंपनी की नीति में शामिल किया गया है? क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यम कंपनियों/ आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों के लिए किया गया है? | जी, हां, आरईसी की आचार नीति रिश्वतखोरी के विरूद्ध है तथा इसकी गवर्नेंस रूपरेखा कंपनी और साथ ही सहायक कंपनियों एवं और व्यापारिक सहयोगी के लिए भी विस्तारित है।<br>आरईसी में आचार नीति एवं गवर्नेंस की रूपरेखा अत्यंत सुदृढ़, परिभाषित है तथा इसका कार्यान्वयन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वित्त नीतियों, संहिताओं एवं नियमों के अंतर्गत किया जाता है, जैसे किः<br>1. जालसाजी की रोकथाम के लिए नीति, जिसमें जालसाजी, रिश्वत या भ्रष्टाचार के किसी भी कृत्य की रोकथाम, पता लगाने और रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व निर्धारित है।<br>2. निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्क तंत्रव्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक व्यवहार, जालसाजी या कंपनी की आचार संहिता या आचार नीति के उल्लंघन से संबंधित उनकी वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए स्थापित की गई है। ऐसे सतर्क तंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में, आरईसी तथा/अथवा उसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों और कर्मचारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के भीतर किसी भी अनुचित गतिविधि का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति भी है।<br>3. व्यापार आचरण और आचार संहिता, जिसमें निदेशक मंडल के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा पालन किए जाने वाले व्यवहारिक और नैतिक मानकों के प्रावधान है।<br>4. निष्पक्ष व्यवहार संहिता, जो कंपनी द्वारा अपने ऋण परिचालन में उचित और पारदर्शी व्यवहारों का पालन भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अंतर्गत किए गए निर्धारण के अनुसार किए जाने से संबंधित है।<br>5. आरईसी प्रापण दिशानिर्देश, जिनमें निष्पक्ष और पारदर्शी पद्धति से और साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं निर्धारित हैं ।<br>6. संबद्ध पक्षकार से संव्यवहार और संबंधित पक्ष के लेन–देन की भौतिकता की नीति, जिसमें संबद्ध पक्षकार लेनदेन से पूर्व की जाने वाली पर्याप्त प्रक्रियाओं और प्रकटीकरण के निर्धारण है।<br>7. आरईसी आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियमावली, जिसमें सभी कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता परिभाषित है; और जिसके अनुसार रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि के कृत्य कदाचार के कृत्य माने गए हैं।<br>8. आचार संहिता का विनियमन एवं निगरानी तथा निर्दिष्ट व्यक्तियों एवं उनके निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग किए जाने की रिपोर्टिंग एवं तथा सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग संहिता के अनुपालन के लिए उचित प्रकटीकरण। यह न केवल कंपनी के निदेशकों, नामित कर्मचारियों और उनके संबंधियों के संबंध में लागू है, अपितु यह कंपनी के साथ काम करने वाले निदेशकों, निर्दिष्ट कर्मचारियों और होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनियों, मध्यस्थों और कंपनी के साथ संव्यवहार करने वाले वैश्वासिकों के संबंध में भी लागू होता है।<br>उपरोक्त नीतियां, कोड, नियमावली आदि, जहां लागू है, का अनुसरण आरईसी की सहायक कंपनियों द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाता है कि आरईसी से संव्यवहार करने वाले अन्य हितधारक भी नैतिकता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों का अनुपालन करें।<br>गवर्नेंस और नैतिकता के प्रति कंपनी की सुदृढ़ प्रतिबद्धता को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मान्यता प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी को सम्मानित किया गया था, इंडियन चौंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए **'पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड, 2018'** नवरत्न और महारत्न श्रेणी में उपविजेता के रूप में प्रदान किया गया था। इसके अलावा, आरईसी को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की श्रेणी में अपने वित्तीय विवरणों एवं वार्षिक रिपोर्ट में इंड एएस (भारतीय लेखांकन मानक) के अंतर्गत व्यवहारों के संबंध में प्रथम प्रस्तुत प्रकटीकरण के संबंध में वित्तीय वर्ष 20 ।8– ।9 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में **उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार** भी प्रदान किया गया था। |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं तथा प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया है? इससे संबंधित ब्यौरा भी लगभग 50 अथवा अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें। | 1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार सतर्कता की प्रक्रिया के अंतर्गत 10 शिकायतें थीं य और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 9 और शिकायतें प्राप्त हुईं। कुल 19 शिकायतों में से, 8 शिकायतों (अर्थात 42%) का समाधान वर्ष के दौरान कर लिया गया था और शेष शिकायतों की समीक्षा की जा रही है। उपरोक्त के अलावा, पीआईडीपीआई वर्ग के अंतर्गत 3 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी समीक्षा भी की जा रही है। |

**सिद्धांत 2: उत्पाद की उपयोगिता अवधि में संधारणीयता**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची प्रस्तुत करें जिन्हें सामाजिक, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, जोखिम तथा अथवा अवसरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। | आरईसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्तकंपनी के रूप में वर्गीकृत एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी है। आरईसी सार्वजनिक और निजी, दोनों, क्षेत्रों में बिजली उत्पति की परियोजनाओं के वित्तपोषण/योजनाओं (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों), पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य करती है। इसके अलावा, आरईसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी यापरियोजना प्रबंधन/कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रही है।<br><br>कंपनी द्वारा किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों/सेवाओं में दीर्घावधि ऋण, मध्यावधि ऋण, अल्पावधि ऋण प्रदान किए जाते हैं जो वस्तुतः वित्तीय उत्पाद हैं। कंपनी वित्तपोषण की जाने वाली परियोजनाओं के मूल्यांकन एवं अपने सामान्य क्रियाकलापों में सामाजिक और पर्यावरणीय संबद्ध ता को शामिल करने का प्रयास करती है।<br><br>पिछले 50 वर्षों के अपने परिचालनों में, आरईसी ने बिजली परियोजनाओं के लिए लगभग 10,00,000 करोड़ रूपए के ऋण स्वीकृत किए हैं जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की लगभग 5 जीडब्ल्यू परियोजनाएं शामिल हैं। आरईसी के पास प्रतिस्पर्धी दरों पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक परिभाषित नीति फ्रेमवर्क है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट सेगमेंट में सूचीबद्ध ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से आरईसी वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से धन जुटाने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय उपक्रम बन गया है। उक्त ग्रीन बांड्स का कार्यकाल 10 वर्ष का होता है और उनकी आय को जलवायु बॉन्ड मानकों के अनुसार पात्र हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण/पुनः वित्तपोषण के लिए उपयोग में जाता है।<br><br>सौभाग्य योजना के संचालन की नोडल एजेंसी होने के नाते, आरईसी सरकार के सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण कार्यक्रम का समर्थक है। राज्यों और डिस्कॉम के ठोस प्रयासों के साथ, 11 अक्टूबर, 2017 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई एवं राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 2.63 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, सात राज्यों (असम, छत्तीसगढ़) झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त 19.09 लाख गैर–विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत करने के लिए समय विस्तार की मंजूरी दी है, जो पहले विद्युतीकृत होने के लिए अनिच्छुक थे और 2019 से पहले जिन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इनमें से राज्यों/डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 13.92 लाख परिवारों को कनेक्शन जारी किया है।<br><br>भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के अंतर्गत आरईसी ने जनरेटरों के भुगतान करने के लिए डिस्कॉमको विशेष दीर्घावधि ट्रांजिशन ऋण वितरित किए हैं, क्योंकि वे कोविड–19 महामारी के कारण गंभीर नकदी संकट का सामना कर रहे थे। इन ऋणों ने बिजली क्षेत्र की रोकड की स्थिति को काफी क राहत प्रदान की है। आरईसी देश में वित्तीय बदलाव और पावर डिस्कॉम के पुनः द्वार के लिए उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना यानी उदययोजना के कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय को भी सहायता दे रहा है। आरईसी ने डिस्कॉम की प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक वेब पोर्टल और एक ऑनलाइन ऐप विकसित किया है, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता और जवाबदेही उत्पन्न हुई है। |
| 2. | प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संसाधन उपयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें (ऊर्जा, जल, कच्चा माल, इत्यादि) प्रति यूनिट उपयोग<br><br>i. पिछले वर्ष से सम्पूर्ण चेन में सोर्सिंग/उत्पादन/संवितरण के दौरान कितनी कमी आई है।<br><br>ii. उपभोक्ताओं द्वारा पिछले वर्ष के पश्चात से कितनी कमी (ऊर्जा, जल) आई है? | कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों को विचार में लेते हुए इन प्रश्नों की उपयोज्यता सीमित है। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते, कंपनी वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करती हैय और प्रमुख संसाधनों का उपयोग बिजली, कार्यालय की आपूर्ति और संचार/आईटी उपकरण हैं। आरईसी ने अपने संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने के लिए वर्ष के दौरान कई पहल की हैं।<br><br>आरईसी के कार्यालयों को सभी पारंपरिक/सीएफएल ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश के साथ अधिक ऊर्जा–कुशल बनाया गया है। कंपनी नई दिल्ली में स्कोप द्वारा रखरखाव किए जा रहे अपने पंजीकृत कार्यालय परिसर में एसी चिलिंग यूनिट, लिफ्ट आदि की प्रभावी निगरानी, नियंत्रण और उपयोग के समय निर्धारण में भी योगदान देती है, जिससे बिजली की खपत कम हो पाती है। आरईसी देश में अपने सभी कार्यालयों में और अपनी सहायक कंपनियों के कार्यालयों में–ई–ऑफिस 'प्रणाली की पेपरलैस कार्यालय का स्वरूप धारण करने वाला बिजली क्षेत्र में देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिससे कागज का उपयोग कम हो रहा है। **कोविड–19** महामारी के अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों ने कर्मचारियों को अपना कार्य सुगमता से करने के प्रति सक्षम बनाया है।<br><br>कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक कचरा विधिवत ई–कचरा रिसाइकलरों के माध्यम से निपटान के लिए एकत्र किया जाता है। कंपनी ने जल संरक्षण के प्रयास के रूप में अपने कार्यालयों में पानी की बचत करने वाले नल/फिटिंग लगवाई हैं। आरईसी ने अपने कार्यालय परिसर में एकल उपयोग प्लास्टिक की खपत को भी बंद कर दिया है। उपरोक्त उपायों सहित अन्य अनेक उपायों के साथ, कंपनी सजग होकर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में काम कर रही है। |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | क्या कंपनी में संधारणीय स्रोत (परिवहन सहित) के लिए कोई प्रक्रिया विद्यमान है? यदि हां, तो आपके इनपुट में से कितना प्रतिशत धारणीयता से लिए स्रोत किया जाता है? इससे संबंधित ब्यौरा भी लगभग 50 अथवा अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें। | एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के कारण आरईसी सामग्री आवश्यकताओं के मामले में कम संसाधन–गहन है। मुख्य उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन बिजली, कार्यालय की आपूर्ति और संचार/आईटी उपकरण हैं।<br><br>सीमित दायरे के बावजूद, आरईसी अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार स्रोतन सुनिश्चित करता है। कंपनी अपनी खरीद में जैम पोर्टल (गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस) को बढ़ावा देती है और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग केविक्रेताओं से सोर्सिंग को भी बढ़ावा देती है। सामग्री और सेवाओं की सभी खरीद/सोर्सिंग कंपनी के प्रापण दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। |
| 4. | क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के लिए कोई कदम उठाए हैं?<br><br>(क) यदि हां, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और सक्षमताओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? | कंपनी प्रापण दिशानिर्देशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले उद्यमों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को प्रोत्साहित करती है। कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल का भी समर्थन करती है। आरईसी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विक्रेताओं से 10 लाख रूपए तक के मूल्य के कुछ सामानों और सेवाओं का 100% उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है और साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को 50% तक मूल्य वरीयता देने की भी अनुमति दी है, जिसमें से 20% अजा/अजजा और महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है।<br><br>आरईसी, वैध उद्योग आधार संख्या अथवा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए अपनी खरीद प्रक्रियाओं में विभिन्न सुविधाओं का विस्तार करती है, जैसे निविदा सेट की निःशुल्क आपूर्ति, बयाना राशि भुगतान से छूट, कुछ मामलों में सुरक्षा जमा की छूट आदि।<br><br>इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमक्षेत्र को सुविधा प्रदान करने वाले सरकार के संबंध, समाधान और टीआरईडीएस पोर्टल पर आरईसी पंजीकृत है। आरईसी समय–समय पर विभिन्न औद्योगिक निकायों/संघों द्वारा आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भी भाग लेती है। |
| 5. | क्या कंपनी में उत्पादों और अपशिष्ट के रिसाइकल करने की कोई तंत्र व्यवस्था विद्यमान है? यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट के रिसाइकल का प्रतिशत क्या है? इसके अलावा इसके संबंध में 50 अथवा अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें। | कंपनी ने अपने परिसर से बेकार कागजात एकत्र करने की तंत्रव्यवस्था को रिसाइकलिंग के उद्देश्य से आउटसोर्स किया है। कंपनी अपने इलेक्ट्रॉनिक कचरे को भी न्यूनतम किया है और सरकार/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पंजीकृत ई–कचरा रिसाइकलरों के माध्यम से ई–कचरे के जिम्मेदार निपटान का सुनिश्चय किया जा रहा है।<br><br>वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, वरिष्ठ प्रबंधन के नेतृत्व वाले आरईसी के सभी अधिकारियों ने 2 अक्टूबर, 2019 को 'स्वच्छता श्रमदान' किया और आरईसी कार्यालयों के सभी स्थानों पर सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई की। करीब 500 किलोग्राम एकल उपयोग प्लास्टिक कचरे को एकत्र किया गया, अलग किया गया और रीसाइक्लिंग के लिए भेजा गया। कंपनी ने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कपास और जूट के बैग भी वितरित किए। इसके अलावा, कंपनी ने स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न सत्रों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, ताकि उन्हें पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।<br><br>आरईसी को सितंबर, 2019 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। |

**सिद्धांत 3: कर्मचारी सुख सुविधा**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं। | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कुल 468 कर्मचारी कार्यरत हैं। |
| 2. | कृपया अस्थायी/संविदागत/अनियमित आधार पर लगाए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं। | वित्तीय वर्ष 20 I9–20 के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी कर्मचारी अस्थाई/संविदा/आकस्मिक आधार पर लगाया नहीं गया है। तथापि, कंपनी समय समय पर संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्ति एजेंसियों के माध्यम से अस्थाई कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करती है। |
| 3. | कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं। | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी 80 स्थाई महिला कर्मचारी कार्यरत हैं जो स्थाई कर्मचारियों का 17.09% है। |
| 4. | कृपया दिव्यांगकर्मचारियों की संख्या बताएं। | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 12 दिव्यांग कर्मचारी (दिव्यांगता के साथ रोजगार में लिए गए) कर्मचारी हैं जो स्थाई कर्मचारियों का 2.56% है। |
| 5. | क्या आपके यहां कोई कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो? | जी, हां । आरईसी में गैर सुपरवाइजरी कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियन तथा अधिकारियों की एसोसिएशन है। |
| 6. | कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं? | नियमित कर्मचारी या तो आरईसी के कर्मचारियों की यूनियन अथवा अधिकारियों की एसोसिएशन के सदस्य हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, बलित श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतों की संख्या बताएं और वित्तीय वर्ष के अंत तक कितनी शिकायतें लंबित हैं। | कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम/बलात श्रम/अनैच्छिक श्रम अथवा यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है और 31 मार्च, 2020 तक कोई शिकायत लंबित भी नहीं थी।<br><br>कंपनी न तो बाल श्रम/बलात श्रम/अनैच्छिक श्रम को किसी भी स्वरूप में स्वीकार करती है और न ही रोजगार व्यवहारों के लिए किसी प्रकार के पक्षपात पूर्ण व्यवहार का उपयोग करती है।<br><br>कंपनी के पास यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक उचित फ्रेमवर्क है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013, के उपबंधों के अनुरूप महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत के निवारण के लिए कंपनी में एक 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती है और इसमें एक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को इसके एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। कंपनी की यौन उत्पीड़न विरोधी अभिमुखता को आरईसी के आचरण, अनुशासन और अपील नियमों में भी उल्लिखित किया गया है, जो सभी कर्मचारियों के लिए लागू हैं। |
| 8. | आपके द्वारा उल्लिखित कर्मचारियों में से कितनों को पिछले वर्ष सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया है? | कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा के संबंध में प्रश्न की प्रासंगिकता सीमित है। हालांकि, कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए कौशल उन्नयन और जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में पूर्ण ध्यान देती है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी के 73.08% स्थायी कर्मचारियों (16.03% स्थायी महिला कर्मचारियों और 1.71% स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों को ऐसे प्रशिक्षण दिए गए थे, जो कुल मिलाकर 2,402 प्रशिक्षण श्रम दिवस है।<br><br>कंपनी एक प्रशिक्षण संस्थान यथा आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) हैदराबाद में है, जहां विभिन्न संगठनों के बिजली क्षेत्र के कर्मियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंगआरईसी के कर्मचारियों के लिए अभिविन्यास सत्र, कार्यात्मक कार्यशालाओं और नेतृत्व उपदेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। |

**सिद्धांत 4: हितधारक संबद्धता**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों का निर्धारण किया है? जी हां/नहीं | जी, हाँ। आरईसी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को स्पष्ट रूप से मैप किया है। आंतरिक हितधारकों में कंपनी के कर्मचारी और स्टाफ शामिल हैं। बाह्य हितधारकों में इक्विटी शेयरधारक, बॉन्डहोल्डर, लेनदार, बैंकर, उधारकर्ता और ग्राहक शामिल हैं जिनमें राज्य बिजली बोर्ड, राज्य विद्युत उपयोगिताएँ, निजी क्षेत्र के उधारकर्ता और सरकारी और नियामक निकाय जैसे राज्य सरकारें, भारतीय रिजर्व बैंक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इत्यादि शामिल हैं। |
| 2. | उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने सुविधाहीन , असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हितधारकों का निर्धारण किया है ? | जी, हाँ। आरईसी ने अपने वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों की पहचान की है उनके सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय किए हैं।<br><br>अपने कर्मचारियों, स्टाफ और उनके आश्रितों के लिए, आरईसी ने कल्याण उन्मुख नीतियों को सामान्य कानूनों और विनियमों और प्रबल नैतिक व्यवहारों के अनुरूप अपनाया है, जो अध्ययन अवकाश, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, कार्यक्षम शेष जीवन पर ध्यान के साथ महिला–केंद्रित नीतियों, कर्मचारी की अनायास मृत्यु की स्थिति में पुनर्वास अथवा अपंगता की स्थिति जैसे क्षेत्रों को सेवा एवं पोषण का वातावरण निर्मित्त किए जाने के प्रयास के अंतर्गत आते हैं।<br><br>भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अलग–अलग श्रेणी से संबंधित महिलाओं और अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के आरक्षण के संबंध में कंपनी समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/निर्देशों का पालन कर रही है।<br><br>इक्विटी शेयरधारकों/बॉण्डधारकों के लिए कंपनी में समर्पित इन्वेस्टर सर्विस टीमें हैं, जो हितधारकों के सभी प्रश्नों/ शिकायतों को जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करती हैं। कंपनी उन इक्विटी शेयरधारकों तक पहुंचने के लिए नियमित आधार पर सर्वोत्तम प्रयास करती है जिनके पास कंपनी के साथ दावा न किए गए/चुकता न किए गए लाभांश/शेयर हैं, ताकि ऐसे निवेशक अपने उचित धन को प्राप्त करने में चूक न करें।<br><br>इसके अलावा, कंपनी के ईआरपी पोर्टल (उधारकर्ता पोर्टल) तक सीधे पहुंच प्रदान करके ऋण प्राप्त कर्ताओं के हितों की सुरक्षा उचित व्यवहार कोड के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से की जाती है। आरईसी सूक्षम लघु एवं मध्यम उद्योग से खरीद को भी बढ़ावा देता है; और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ पंजीकृत सूक्षम लघु एवं मध्यम उद्योग विक्रेताओं के लिए अपनी खरीद प्रक्रियाओं में कुछ सुविधाओं का विस्तार करता है।<br><br>अपने सभी कारपोरेट सामाजिक दायित्व प्रयासों के अंतर्गत कंपनी ने साफ सफाई और स्वच्छता, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, और ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास के क्षेत्र में पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण और समर्थन प्रदान किया है। कंपनी ने पिछड़े जिलों (उत्तर पूर्व में) और अन्य कठिन भौगोलिक स्थानों में स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्कूल शिक्षा पहल भी वित्त पोषित की है। |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हितधारकों की सेवाओं के लिए कंपनी द्वारा कोई विशेष उपाय किए गए हैं। यदि हां तो 50 अथवा अधिक शब्दों में विवरण प्रस्तुत करें। | जी, हां, कंपनी नियमित रूप से अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों, जो कि वंचित, कमजोर या हाशिए पर हो सकते हैं, के साथ संबद्ध ता के लिए पहल की जाती है।<br>आरईसी सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लिए सरकार की सौभाग्य योजनाओं के संचालन की नोडल एजेंसी है। राज्यों और डिस्कॉम के ठोस प्रयासों के साथ, 11 अक्तूबर, 2017 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 2.63 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, सात राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त विद्युतीकरण के लिए समय विस्तार की स्वीकृति प्रदान कर दी है।<br>19.09 लाख गैर–विद्युतीकृत परिवार, जो पहले विद्युतीकृत होने के लिए तैयार नहीं थे और जिन्होंने मार्च 2019 से पहले अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इनमें से, राज्यों/डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 13.92 लाख परिवारों को कनेक्शन जारी किए हैं।<br>कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न लॉकडाउन के दौरान, आरईसी ने मजदूरों, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन/राशन प्रदान करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। कंपनी ने पका हुआ भोजन, आवश्यक सामान, राशन और चिकित्सीय आवश्यकताओं के पैकेट वितरित किए हैं। 25 अगस्त, 2020 तक, कंपनी ने 4.83 लाख किलोग्राम से अधिक अनाज, 4.48 लाख भोजन के पैकेट, 10,000 लीटर सैनिटाइजर, 4,690 पीपीई किट, 87,300 मास्क और 2,500 दस्ताने वितरित किए हैं। आरईसी ने सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा कर्मचारियों के लिए भोजन के पैकेट वितरित करने के लिए ताजसैट्स के साथ भागीदारी की है।<br>आरईसी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिये पर खड़े हितधारकों के लिए सीएसआर की अन्य उल्लेखनीय प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:–<br>1. समाज के कमजोर वर्गों के दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और एलायंस का वितरण।<br>2. शहरी बस्ती क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने वाले नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के यंत्रीकृत व्यापक, संग्रह और परिवहन के लिए परियोजनाएं।<br>3. आदिवासी बच्चों के लिए अध्ययन, भोजन, निवास और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं, दृश्यता क्षति वाले बच्चों के लिए समग्र शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं और प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए अभिनव मोबाइल स्कूल का समर्थन करने की परियोजनाएं।<br>4. बुजुर्ग लोगों के लिए कल्याण सुविधा के साथ आश्रय गृह के निर्माण और संचालन के लिए परियोजनाएं।<br>5. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बीजों का वितरण।<br>आरईसी ने विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक रक्तदान अभियान भी आयोजित किया था।<br>कंपनी के कुल 80 स्वयंसेवकों ने इस अभियान की शुरुआत की थी।<br>समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरईसी ने स्वच्छ तीर्थस्थल अभियान के अंतर्गत अंगीकार किए गए बरौछा बीर धाम, जिला जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में 5 सीटिंग शौचालय परिसर का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया है। |

**सिद्धांत 5 – मानवाधिकारों को प्रोत्साहन**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | क्या सिद्धांत से संबंधित नीति में केवल कंपनी को ही कवर किया गया है अथवा यह समूह/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/ अन्यों पर भी लागू होती है? | आरईसी "द यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट" का एक सक्रिय सदस्य है और मानव अधिकारों, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्रों में इसके सिद्धांतों का पालन करता है, जो सार्वभौमिक सहमति और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा से प्राप्त होते हैं। मौलिक सिद्धांत और अधिकार, पर्यावरण और विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई घोषणा, रियो घोषणा, पर आधारित हैं।<br>आरईसी के व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मानवाधिकार के अंतर्गत कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों और कर्मचारियों को कवर किया गया है। आरईसी ने कर्मचारी कानूनों को सामान्य कानूनों और नियमों और प्रबल आचरण व्यवहारों के अनुरूप अपनाया है। कंपनी का मानना है कि एक स्थायी संगठन नैतिकता और मानव अधिकारों के सम्मान की नींव है। कंपनी एक सुरक्षित और सामाजिक वातावरण और सामान्य रूप से मानव कल्याण पर भी जोर देती है। यह उस आचरण को हतोत्साहित करता है, जो किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के बदले में किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने के आधार पर, एहसान या अवसरों को देने या रोक देने का अर्थ है।<br>कोविड–19 महामारी के मद्देनजर, जहां कई लोगों के लिए भोजन और आश्रय के बुनियादी मानवाधिकार प्रभावित हुए हैं, आरईसी ने तालाबंदी के दौरान 36,500 से अधिक दैनिक ग्रामीणों और उनके परिवारों को आश्रय प्रदान करके प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है। इसके अलावा, आरईसी ने पका हुआ भोजन, राशन, यूटिलिटी पैकेट, मास्क, सैनिटाइजर आदि भी प्रदान किए हैं। आरईसी ने इन गतिविधियों के लिए 7.79 करोड़ रूपए से अधिक धनराशि पहले ही जारी कर दी है, इसके अलावा कोविड–19 के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए प्रधान मंत्री केयरफंड में 150 करोड़ रूपए का योगदान दिया गया है। |
| 2. | पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितने हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का समाधान संतोषजनक रूप में किया गया है? | कंपनी को मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में किसी भी हितधारक से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। |

**सिद्धांत 6 – पर्यावरण संरक्षण**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति में केवल कंपनी को ही कवर किया गया है अथवा यह समूह/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों पर भी लागू होती है? | कंपनी द्वारा सभी हितधारकों को पर्यावरण संरक्षण एवं संधारणियता एवं इसकी नीतियों एवं सभी समूह कंपनियों के लिए लागू पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दिशानिर्देश सिद्धांतों पर केन्द्रित प्रयासों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। |
| 2. | क्या कंपनी में वैश्विक पर्यावरणीय विषय जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि के समाधान की रणनीतियां/उपक्रम स्थापित हैं। यदि हां, तो कृपया वेब पृष्ठ इत्यादि का हाइपरलिंक प्रस्तुत करें। | आरईसी बिजली क्षेत्र में एक वित्तीय संस्थान के रूप में, वैश्विक पर्यावरण समस्याओं के निवारण के लिए हरित ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है। अब तक, आरईसी ने देश के हरित भविष्य की दिशा में समर्थन देने के लिए लगभग 5जीडब्ल्यू नवीकरणनीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण किया है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार खंड पर सूचीबद्ध ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पैसा जुटाने के लिए आरईसी पहला भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था।<br><br>आरईसी की नवीकरणनीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए रियायती ब्याज दरों की पेशकश जाती है, जो जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भरता की सुविधा प्रदान करती है। वित्त वर्ष 20 ।9–20 के दौरान, आरईसी ने 7,026.33 करोड़ रूपए की ऋण सहायता को स्वीकृति दी है और सौर, पवन, बायोमास, को–जनरेशन और जल विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की दिशा में 5,699.09 करोड़ रूपए की राशि का वितरण किया है। आरईसी ई–मोबिलिटी और अन्य पर्यावरण–अनुकूल परियोजनाओं का वित्तपोषण भी कर रहा है। |
| 3. | क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन कर रही है? हां/नहीं | आरईसी विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, सभी बिजली परियोजनाओं के मूल्यांकन के दौरान, आरईसी वित्तियन की गई परियाजना (परियोजनाओं) से संबद्ध संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान करता है और उनका मूल्यांकन करता है। परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की पहचान की जाती है और साइट के दौरे, माध्यमिक सूचना संग्रह और विश्लेषण और लागू अनुपालन की समीक्षा आदि के माध्यम से कारण ज्ञात करने के विस्तृत प्रयास किए जाते है।<br><br>इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, मौजूदा और भविष्य के थर्मल पावर प्लांट के लिए एसओएक्स और एनओएक्स उत्सर्जन को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करना अनिवार्य है। इसके साथ ही, आरईसी ग्रिप गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीइस्पिटेटर्स (ईएसपी) की स्थापना को वित्तपोषित कर रहा है, जो हानिकारक उत्सर्जन और पार्टिकुलेट मैटर पर अंकुश लगाने में योगदान करते हैं. |
| 4. | क्या कंपनी में कोई परियोजना संबंधित स्वच्छ विकास तंत्र विद्यमान है? यदि हां तो 50 या अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें। इसके अलावा, क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट, यदि कोई हो, भी फाइल की गई है। | आरईसी विनिर्माण कंपनी नहीं है, इसलिए उपरोक्त प्रश्न सीधे लागू नहीं होते है। तथापि, आरईसी ने देश भर में सौर ऊर्जा, जैसे कि सौर, पवन, बायोमास आदि जैसी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए कम ब्याज दर और ई–वाहन और चार्जिंग अवसंरचना सहित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक नीति तैयार की है। प्रतिस्पर्धी उधार नीति के माध्यम से, आरईसी जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित समस्याओं के समाधान में योगदान देता है।<br><br>इस वर्ष के दौरान, आरईसी ने कुल 17754 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ 17 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 7,026.33 करोड़ रूपए की ऋण सहायता स्वीकृत की, जिसमें से 7 सौर फोटो–वोल्टाइक परियोजनाएं (917 मेगावाट) थीं, 7 पवन ऊर्जा परियोजनाएं (837 मेगावाट) थीं, एक छोटी पनबिजली परियोजनाओं की टीजी इकाइयों के लिए उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए थी, एक डीडीयूजीवाईवाई के डीडीजी घटक के लिए था और एक नवीकरणीय क्रय दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य वितरण कंपनियों को ऋण प्रदान करने से संबंधित थी।<br><br>आरईसी का नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा भारत सरकार के 2022 तक अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 175 गीगावॉट के लक्ष्य और ई–मोबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए आरईसी के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र होगा। |
| 5. | क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि पर कोई अन्य पहल की है? हां / नहीं। यदि हां, तो कृपया वेब पृष्ठ का हाइपर लिंक दें। | आरईसी की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण देने की नीति है। इसके अलावा, अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व प्रयासों के अंतर्गत आरईसी ने मशीनीकृत सफाई, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का संग्रह और परिवहन, सुरक्षित पीने के पानी के लिए एटीएम की स्थापना और सरकारी स्कूलों में वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना, एवं अन्य अनेक जैसी कई परियोजनाएं शुरू की हैं जिनसे पर्यावरणीय स्थिरता में सहायता मिल रही है। |
| 6. | क्या वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमति सीमा हैं? | आरईसी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है, इसलिए दिए गए प्रश्न की प्रासंगिकता सीमित है। तथापि, कंपनी अपने परिसर और संचालन के संबंध में लागू पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करती है। इसके अलावा, कंपनी वित्तीय की गई परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं पर उचित परिश्रम करती है। |
| 7. | वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीएसबी/एसपीसीबी बोर्ड से प्राप्त कितने कारण बताओ नोटिस/कानूनी नोटिस लम्बित हैं (अर्थात जिनका संतोषजनक स्तर पर समाधान नहीं हो पाया)। | आरईसी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई कारण या कानूनी नोटिस नहीं मिला है। |

**सिद्धांत 7 – उत्तरदायी लोक नीति का समर्थन**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड तथा चेम्बर या किसी संघ की सदस्य है? यदि हां, तो केवल प्रमुख के नाम बताएं जिनके साथ आपके व्यावसायिक संबंध हैं। | जी, हाँ। आरईसी विभिन्न राष्ट्रीय व्यापार मंडलों, संघों आदि का सदस्य है, जिसमें भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), द फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफआईसीसीआई), एसोसिएटेड चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), केन्द्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड (सीबीआईपपी), वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल (डब्ल्यूईसी), स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप), पावर एचआर फोरम, इंडिया सीएफओ फोरम, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (आईपीई) और यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट शामिल हैं। आरईसी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के साथ एक समझौता भी किया है। इसके अलावा, आरईसी सरकार के ई–मार्केटप्लेस (जैम) के साथ पहले से पंजीकृत है।<br><br>भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न समितियों ६ कार्य समूहों में आरईसी के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी समय–समय पर शामिल होते हैं, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतियों के निर्माण में योगदान करते हैं। |
| 2. | क्या आपने कभी सार्वजनिक कल्याण की प्रगति और सुधार के लिए उपर्युक्त संघों से चर्चा की है/सहयोग प्राप्त किया है। हां/नहीं। यदि हां तो व्यापक स्तर पर क्षेत्रों का उल्लेख करें। | कंपनी ने समय–समय पर उपरोक्त संघों के विभिन्न प्लेटफार्मों पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मुद्दों को उठाया है। आरईसी विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी) का सदस्य भी है, जो ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख संगठनों (जैसे पेट्रोलियम मंत्रालय और प्राकृतिक गैस, कोयला मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) के सहयोग से विद्युत मंत्रालय के संरक्षण में कार्य करता है।<br><br>कंपनी ने लोक कल्याण के लिए विभिन्न सीएसआर पहलों का समर्थन किया है, जैसे स्कूल भवनों का निर्माण, स्वच्छता सुविधाएं, सामुदायिक हॉल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अस्पताल और चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल पहल, जिसमें बुजुर्ग व्यक्तियों और दिव्यांग व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल शामिल है।<br><br>हाल ही में, आरईसी ने कोविड–19 महामारी के प्रति सुरक्षा उपायों और कंपनी के राहत कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग किया। आरईसी सक्रिय रूप से सार्वजनिक आउटरीच के विभिन्न तरीकों के माध्यम से हरित ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के पक्ष प्रस्तुत करता है।<br><br>आरईसी टीआरईडीएस (ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम) पोर्टल पर भी पंजीकृत है, जो कई फाइनेंसरों के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन तंत्र है। इसके अलावा, आरईसी एमएसएमई की सुविधा के लिए संबंध और समाधान जैसे अन्य पोर्टलों पर भी पंजीकृत है। |

**सिद्धांत 8 – समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | क्या कंपनी का सिद्धांत–8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कोई विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें। | आरईसी अपने सभी हितधारकों के समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन करता है। सौभाग्य योजना के संचालन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में, आरईसी ने देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण में योगदान दिया है।<br><br>अपनी सीएसआर पहल के तहत, आरईसी ने ग्रामीण विकास, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण और इंस्पायरेशन जिलों के विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का समर्थन किया है, जो समावेशी विकास और समान विकास के कारकों का समर्थन करते हैं। |
| 2. | क्या कार्यक्रमों/परियोजनों को आंतरिक दलों/अपनी फाउंडेशन/बाह्य एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संगठन के माध्यम से निष्पादित किया जाता है? | सौभाग्य योजना के तहत कार्यों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए, आरईसी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की समय–समय पर आरईसीपीडीसीएल की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं।<br><br>आरईसीकी कारपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियाँ, आरईसी फाउंडेशन के माध्यम से की जाती हैं, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है, जो विशेष एजेंसियों के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं को लागू करती है, जैसा कि कंपनी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थिरता नीति में निर्दिष्ट है। |
| 3. | क्या आपने अपने प्रयासों का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है? | आरईसी ने डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के संचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में, सार्वभौमिक विद्युतीकरण और 24x7 पावर फॉर ऑल 'के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थलों की उपलब्धि में योगदान दिया है। आरईसी, राज्यों और डिस्कॉम के ठोस प्रयासों के साथ, भारत में सभी बसे हुए जनगणना गांवों को 28 अप्रैल, 20 ।8 को विद्युतीकृत किया गया है।<br><br>इसके अलावा, 11 अक्तूबर, 2017 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 2.63 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके अलावा सात राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त 19.09 लाख गैर–विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत करने के लिए समय विस्तार की मंजूरी दी, जो पहले विद्युतीकृत होने के लिए अनिच्छुक थे और मार्च 2019 से पहले अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इनमें से, राज्यों/डिस्कॉम ने वर्ष 2019–20 के दौरान 13.92 लाख परिवार को कनेक्शन जारी कर दिए हैं। वित्तीय। विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा संबंधित सभी एजेंसियों के साथ की जाती है।<br><br>कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहलों का प्रभाव मूल्यांकन कंपनी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थिरता नीति के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। विभिन्न सीएसआर पहलों की प्रगति और प्रभाव की निगरानी, मूल्यांकन और समय–समय पर वरिष्ठ प्रबंधन के लिए समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | सामुदायिक विकास की परियोजनाओं में कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है? परियोजनाओं का विवरण तथा भारतीय रूपए में किए गए व्यय का विवरण दें। | सामुदायिक विकास कंपनी द्वारा समय–समय पर की जाने वाली विभिन्न कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहलों का एक अभिन्न अंग है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सामुदायिक विकास के लिए आरईसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहल में ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान में कुओं का गहरा किया जाना, चेकडैम का नवीनीकरण और निर्माण और चिकित्सा शिविरों का आयोजन, मणिपुर में एक गांव और बहुउद्देशीय हॉल–कम–इंडोर स्टेडियम एवं सड़क का निर्माण शामिल है, बिहार के कुछ इलाकों में कम्युनिटी हॉल का निर्माण, पीसीसी रोड, यति शेड, एलईडी लाइट्स, आरओ प्लांट्स आदि का निर्माण और उड़ीस के गांवों में स्वच्छता सुविधा के साथ सामुदायिक केंद्र का निर्माण जैसे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्य किए गए हैं।<br><br>आरईसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहल में से एक मेघालय और नागालैंड के 130 दूरदराज के गांवों में ग्रामीण विकास के लिए नॉर्थ ईस्ट स्लो फूड एंड एग्रोबायोडायवर्सिटी सोसायटी (एनईएसएफएएस) को 9.41 करोड़ की वित्तीय सहायता शामिल है। उक्त कार्यक्रम "कोई भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा" पोषण को बेहतर बनाने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और 3,000 से अधिक घरों के लिए स्थायी आजीविका उत्पन्न करने के लिए स्वदेशी खाद्य प्रणालियों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक तीन साल की परियोजना है। परियोजना गतिविधि में पोषण संबंधी विश्लेषण, सामुदायिक बीज मेले, स्थानीय प्रजातियों की पोषक तत्वों से भरपूर खपत को बढ़ावा देना और उद्यमशीलता और आजीविका के लिए कौशल प्रशिक्षण शामिल है। कार्यक्रम परियोजना क्षेत्र में युवाओं, किशोर लड़कियों, महिलाओं और समुदाय के बुजुर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है।<br><br>एक अन्य परियोजना में। 32 करोड़ के परिव्यय के साथ यूएनएफपीए के साथ 'पैक्ट इम्पेक्ट', आपदा प्रभावित जिलों में आदिवासी युवाओं को संलिप्त करने, साक्ष्य–आधारित परिवार नियोजन सेवाओं को मजबूत करने, स्वास्थ्य देखभाल संपर्क की पहली पंक्ति के रूप में सूचित रसायनज्ञों को विकसित करने, टेली–परामर्श प्रदान करने वाले विभिन्न कार्यक्रम किशोरों के लिए मिशन उदय, मेडएड, ओटीसी सलाह, साथिया सिनेमा, उमंग–साथिया हेल्पलाइन, सक्षम, नौबत बाजा, बी ए जागरूक और समृद्धि, जैसे जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाने की क्रियाएं की गई। |
| 5. | क्या आपने सामुदायिक विकास प्रयासों को समाज द्वारा सफलतापूर्वक अंगीकार किए जाने का सुनिश्चय करने के प्रयास किए हैं? कृपया 50 अथवा अधिक शब्दों में वर्णन करें। | आरईसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता नीति के अंतर्गत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आरईसी के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों सफलता की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है।<br><br>कंपनी कार्यक्रम के स्वामित्व और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए, इस तरह के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन में सरकारी एजेंसी (एजेंसियों), विभाग (विभागों), गैर सरकारी संगठनों और अन्य स्थानीय संस्थानों जैसे हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है। ऐसे हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को भविष्य में इस तरह के / समान कार्यक्रम के विकास में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। |

**सिद्धांत 9 –उपभोक्ता मूल्य**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों / उपभोक्ता मामलों के कितने प्रतिशत मामले लम्बित हैं? | बॉण्डधारकों से संबंधित 2 शिकायतों के अलावा विभिन्न हितधारकों से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों को 31 मार्च, 2020 तक संतोषजनक ढंग से हल किया गया था। इस रिपोर्ट की प्रस्तुति तक भी संतोषजनक ढंग से हल किया गया है।<br><br>31 मार्च 2020 तक, विभिन्न उपभोक्ता मंचों के साथ 4 उपभोक्ता मामले लंबित थे, जिनमें से 1 मामला एक निवेशक द्वारा दायर किया गया था, और 3 मामले / अपील आरईसी द्वारा दायर किए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान अपने फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत 'शून्य' शिकायतें प्राप्त हुई हैं। |
| 2. | क्या कंपनी अपने उत्पादों के लेबल में उत्पादों की सूचना प्रदर्शित करती है जो कि स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य हैं? | कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो वित्तीय उत्पादों की प्रस्तुति करती है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरण इसकी कॉर्पोरेट वेबसाइट और समय–समय पर जारी किए गए अन्य हितधारक / मीडिया संचारों पर दिखाए जाते हैं।<br><br>कंपनी ने अपने उधारकर्ताओं को कंपनी के ईआरपी पोर्टल तक सीधे पहुंच प्रदान की है, ताकि उन्हें वास्तविक समय के आधार पर अपने ऋण और आरईसी की योजनाओं आदि की स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके। |
| 3. | क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनैतिक कारोबार पद्धति, अनियमित विज्ञापन तथाध्अथवा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के संबंध में किसी हितधारक द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा 50 या अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें। | आरईसी, अपनी सहायक कंपनियों के साथ, कानून के फ्रेमवर्क के दायरे में नीतिपरक व्यवहारों और नीतिपरक व्यापार आचरण के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंत में, अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर–जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धी–विरोधी व्यवहार से संबंधित कोई मामला आरईसी लंबित नहीं था।<br><br>वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यथा आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) के खिलाफ जांच का आदेश दिया था जो किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई जानकारी (नाम का खुलासा नहीं) पर आधारित है। इसके बाद सीसीआई ने आरईसीपीडीसीएल के पक्ष में मामले का निपटारा किया, जबकि यह देखते हुए कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन आरईसीपीडीसीएल और अन्य के खिलाफ नहीं किया गया था। इस मामले को वर्ष 2016–17 में बंद करने का आदेश दिया गया था। |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | क्या आपकी कंपनी किसी प्रकार का ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि रूझान करती है? | आरईसी अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में विश्वास करती है। ग्राहकों के साथ बैठकें समय–समय पर आयोजित की जाती हैं, ताकि उनकी प्रत्याशाओं को समझा जा सके और व्यवसाय में आरईसी की प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सके। कंपनी को अपने क्षेत्रीय/राज्य/उप कार्यालय के माध्यम से देश भर में नियमित रूप से ग्राहकों के संपर्क में बने रहने के लिए अपनी उपस्थिति का लाभ की स्थिति प्राप्त है। ग्राहकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को शीघ्रता से कम किया जाता है और उनसे प्राप्त प्रतिक्रिया को सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लागू किया जाता है। वरिष्ठ प्रबंधन ऐसे मामलों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित आधार पर बैठक करता है; और उधारकर्ताओं और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।<br>कंपनी, अपने भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद के माध्यम से, देश भर में अपने सम्मानित ग्राहकों का ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2019 में आयोजित किया था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की पावर कंपनियां और निजी पावर कंपनियां शामिल हुई थी। सर्वेक्षण के समग्र ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) का स्कोर 93.04% था, जो औसत अमेरिकी ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (एसीएसआई) के अनुसार बैंकिंग सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ है। |

**कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट का अनुलग्नक**

**पी1 नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व**

आरईसी अपने व्यापारिक क्रियाकलापों में नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही को अत्यधिक महत्व देता है। कंपनी के पास अपनी नैतिकता और शासन फ्रेमवर्क को परिभाषित करने के लिए विभिन्न नीतियां और कोड हैं, जो कंपनी के लिए लागू कानूनों के अनुरूप हैं। उक्त फ्रेमवर्क में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित नीतियां एवं कोड, जो सीमित नहीं है, शामिल हैं: –

| नीति का नाम | वेबलिंक |
|---|---|
| जालसाजी रोकथाम नीति | https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Revised-Fraud-prevention-policy-of-REC-13082020.pdf |
| सजगता (व्हीसल ब्लोअर) नीति | https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf |
| कारोबार आचार व्यवहार नीति | https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf |
| न्यायोचित व्यवहार नीति | https://www.recindia.nic.in/uploads/files/fair_practice_code.pdf |
| संबद्ध पक्षकार संव्यवहार की वस्तुपरकता एवं संबद्ध पक्षकार संव्यवहार नीति | https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-policy-on-related-party-transactions-dealing-with-rpt-dt230719.pdf |
| आचार संहिता का विनियमन एवं निगरानी तथा निर्दिष्ट व्यक्तियों एवं उनके निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग किए जाने की रिपोर्टिंग | https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf |

उपरोक्त के अलावा, अन्य नीतियां और नियम हैं, जो कंपनी के आंतरिक दस्तावेज हैं और केवल संगठन के कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं।

**पी2 उत्पाद के उपयोज्यता क्रम में संधारणीयता**

कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो वित्तीय उत्पादों की प्रस्तुति करती है, जिसमें पर्यावरण, संधारणीयता के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण शामिल हैं।

कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का विवरण https://www.recindia.nic.in/financial-products पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, कंपनी की सीएसआर और संधारणीयता नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/CSR-Policy-Wef110717-UpldDt300518.pdf पर उपलब्ध है।

**पी3 कर्मचारी सुख सुविधा**

आरईसी हर तरह से मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रयास करता है। कंपनी के पास अपने निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता (कोड) है, जो मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखने इससे बचने के लिए भी किसी भी आधार पर भेदभाव की रोकथाम के लिए प्रबंधन सदस्यों पर नैतिक अनिवार्यता रखता है।

**पी4 हितधारक संबद्धता**

कंपनी अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करती है, विशेषतः उनका जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं। कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर और स्थिरता नीति के माध्यम से समावेशी विकास की दिशा में काम करती है। कारपोरेट सामाजिक दायित्वऔर संधारणीयता नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/CSR-Policy-Wef110717-UpldDt300518.pdf पर उपलब्ध है।

**पी5 मानवाधिकार प्रोत्साहन**

आरईसी हर तरह से मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रयास करता है। कंपनी के पास अपने निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता (कोड) है, जो मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखने इससे बचने के लिए भी किसी भी आधार पर भेदभाव की रोकथाम के लिए प्रबंधन सदस्यों पर नैतिक अनिवार्यता रखता है। निदेशक मंडल द्वारा संहिता को मंजूरी दी जाती है। सभी निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन सदस्य एक ही वार्षिक अनुपालन की पुष्टि करते हैं। उक्त कोड https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf पर उपलब्ध है।

| | |
|---|---|
| पी6 | **पर्यावरण संरक्षण**<br><br>बिजली क्षेत्र में एक वित्तीय संस्थान के रूप में, आरईसी ई–गतिशीलता सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग बढ़ा रहा है। इस संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स के लिए प्रतिस्पर्धी शर्तों पर ऋण की पेशकश की जाती है। आरईसी यह भी सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा स्वीकृत सभी परियोजनाएँ, चाहे नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित हों अथवा न हो, पर्यावरणीय मानदंडों के अनुरूप होनी आवश्यक हैं। इसके अलावा आरईसी ने तापीय संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना के लिए विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है, ताकि हानिकारक ऑक्साइड और कण पदार्थ के उत्सर्जन को कम किया जा सके। |
| पी7 | **उत्तरदायी लोक नीति का समर्थन**<br><br>आरईसी सार्वजनिक और नियामक नीति से संबंधित मामलों में एक सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाता है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी समय–समय पर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल होते हैं; और इस तरह की प्रक्रियाओं के विकास की समीक्षा संगठन में उच्चतम स्तर पर की जाती है। |
| पी8 | **समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास**<br><br>आरईसी के पास अपने सभी हितधारकों के समावेशी विकास और न्यायोचित विकास का समर्थन करने के लिए विभिन्न नीतियां हैं। अपने प्रापण दिशानिर्देशों से, जिसमें सूक्ष्म / लघु / मध्यम उद्यमों से खरीद के समर्थन है, अपने कर्मचारियों के लिए समान अवसर नीति, उधारकर्ताओं के लिए आकर्षक उधार दरों पर, जो हरित–ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की इच्छा रखते हैं, आरईसी में इसके सभी हितधारकों के समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास के लिए आंतरिक नीतियां हैं।<br><br>इसके अलावा, आरईसी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीयता नीति है, जो कंपनी की सीएसआर पहल का मार्गदर्शन करती है, जिनमें से कई समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास की दिशा में निर्देशित हैं। आरईसी की कारपोरेट सामाजिक विकास एवं संधारणीयता नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/CSR-Policy-Wef110717-UpldDt300518.pdf पर उपलब्ध है। |
| पी9 | **ग्राहक मूल्य**<br><br>भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार, आरईसी में निदेशक मंडल से अनुमोदित उचित व्यवहार कोड है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कंपनी द्वारा अपने उधार कार्यों में ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्ष और पारदर्शी प्रथाओं का पालन किया जाए। निदेशक मंडल समय–समय पर निष्पक्ष आचरण संहिता के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है और प्राप्त शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा करता है। आरईसी के उचित व्यवहार कोड https://www.recindia.nic.in/uploads/files/fair_practice_code.pdf पर उपलब्ध है। |

सभी नीतियां और प्रक्रियाएं समय–समय पर कंपनी में आंतरिक रूप से किए गए ऑडिट और समीक्षाओं के अधीन हैं। इसके अलावा, समय–समय पर, जहां भी लागू हो, निदेशक मंडल सहित वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा सभी नीतियों/कोडों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।